बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं0सं0–ल0सि0मो0–अनियमितता–199/2020 – 1367 (मौ0) /पटना, दिनांक–01/07/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषयः– **नालंदा जिला के सिलाव प्रखंड अंतर्गत चण्डी मौं ग्राम में जल–जीवन–हरियाली योजना के तहत शुगकालीन पुष्पकरणी तालाब के उड़ाही एवं जीर्णोद्धार का कार्य ठीकेदार–अफसर के मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार के कारण पूर्ण नहीं होने के संबंध में।**

प्रसंगः– **श्री नीरज कुमार, संस्थापक अध्यक्ष का पत्रांक–RSSN-001-20 दिनांक–10.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री नीरज कुमार, संस्थापक** द्वारा सूचित किया गया है कि सिलाव प्रखंड अन्तर्गत चण्डी मौं ग्राम में पुस्पकरणी तालाब (सरोवर) के उड़ाही एवं जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरती जा रही है।

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित योजना की जाँच कर ली जाय। योजना का कार्य यदि प्राक्कलन विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है तो संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदार नियमावली प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करें तथा दोषी अभियंताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाय।

अनु0:– यथोक्त्।

विश्वासभाजन
01/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1367 (मौ0) /पटना, दिनांक– 01/07/2020

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1367 (मौ0) /पटना, दिनांक– 01/07/2020

प्रतिलिपि– श्री नीरज कुमार, संस्थापक अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

01/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\GEET-2020\JUNE\LETTER -E.E PATNA-29.06.20.DOC

01/7/20

देश की प्रगति है तब तक अधूरी, किसान के विकास के बिना न होगी पूरी।

राजकुमार सिंह स्मृति न्यास

नीरज कुमार, संस्थापक अध्यक्ष

पत्रांक RSSN-001-20 दिनांक 10/06/2020

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
बिहार सरकार, पटना

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना
12 JUN 2020

विषय : नालन्दा जिला के सिलाव प्रखण्ड अन्तर्गत चण्डी मौं ग्राम में जल जीवन हरियाली योजना के तहत शुंगकालीन पुष्पकरणी तालाब के उड़ाही एवं जीर्णोद्धार का कार्य ठेकेदार-अफसर के मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार के कारण पूर्ण नहीं होने के संबंध में।

महाशय,

नालन्दा जिला के सिलाव प्रखण्ड अन्तर्गत चण्डी मौं ग्राम में स्थित शुंगकालीन पुष्पकरणी तालाब (सरोवर) के उड़ाही एवं जीर्णोद्धार होने का कार्य जल-जीवन हरियाली योजना से स्वीकृत हुआ था। जिसका कार्य ठेकेदार-अफसर के मिली भगत से पूरा नहीं हो सका और यह तालाब लूट-खसोट और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है।

स्वयं श्री वी. राम जी, चीफ इंजीनियर, लघु सिंचाई विभाग, बिहार दो-दो बार पुष्करणी तालाब का दौरा किये और निर्देश दिये, लेकिन दिये निर्देशों का पालन कुछ भी नहीं किया गया, जबकि खुले आम ठेकेदार के तरफ से कहा गया कि सब मैनेज है, काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो सच दिखाई भी पड़ रहा है। चीफ इंजीनियर ने कहा था कि समय सीमा 15 जून 2020 से बहुत पहले तालाब तैयार हो जायेगा, क्योंकि दिन-रात यहां काम किया जायेगा। श्री अशोक कुमार एस.डी.ओ. लघु सिंचाई विभाग, लगातार ठेकेदार और उसके मुंशी से कहते रहे, लेकिन रत्तीभर भी असर नहीं पड़ा, और परिणाम सामने है।

नालन्दा के जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह जी पुष्करणी तालाब के कार्यों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों को विश्वास दिलाये थे कि 5 जून 2020 तक इस तालाब का कार्य पूरा हो जायेगा, लेकिन आज 10 जून 2020 तक मात्र आधा कार्य ही पूरा हुआ है। ठेकेदार को किसी की परवाह नहीं है क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा आदमी अपने आप को बताता है, और किसी के भी निर्देशों की पालन करता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी महत्कांशी योजना जल-जीवन हरियाली में भयानक भ्रष्टाचार है, लालफीताशाही है, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी क्या कर रहे है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। इस तालाब की सारी जानकारी अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव, लघु सिंचाई विभाग बिहार, तालाब में हुए अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जानकारी श्री वी.राम.चीफ इंजीनियर, लघु सिंचाई विभाग को बार-बार देते रहे हैं, लेकिन कारवाई शून्य से ज्यादा नहीं हुआ।

माननीय मुख्यमंत्री जी आप 1995 में विधानसभा चुनाव के पहले मेरे गांव चण्डी मौं आये थे, उसी तालाब के पास बैठे थे और आपने ग्रामवासियों से कहे थे कि अगर आप लोग बिहार की जनता की

कार्यालय : ग्राम+पोस्ट-चण्डी मौं, प्रखण्ड-सिलाव, भाया-गिरियक, जिला नालन्दा (बिहार) पिन-803109
सम्पर्क: 9650334142, 7320958571, 7004394152

सेवा करने का अवसर देते हैं, तो इस ऐतिहासिक पुष्करणी तालाब का जीर्णोद्धार, उड़ाही, और सौन्दर्यीकरण कर भव्य बना देंगे। इसे हम ग्रामीण पर्यटन स्थल बना देंगे। ग्रामवासियों ने उसी समय कहा था कि आप बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, तो आपने कहा कि मेरा भी वचन है, मुख्यमंत्री बनते ही उसकी जीर्णोद्धार अवश्य होगा। दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों के बाद भी जब इस तालाब का कार्य जल-जीवन-हरियाली से शुरू हुआ तो, कैसे यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बिहार यात्रा के क्रम इस पुष्करणी तालाब, चण्डी माँ के पास रुके थे। ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया था। उसी वक्त ग्रामीण राजकुमार सिंह आपसे इस तालाब के जीर्णोद्धार करने के आपके पुराने संकल्प को याद कराये थे, तो आपने तत्कालीन जिलाधिकारी संजय अग्रवाल को इसकी उड़ाही कराने का निर्देश दिये थे, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। विदित हो कि राजकुमार सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी, जलपुरुष श्री राजेन्द्र सिंह इस तालाब के जीर्णोद्धार हेतु पिछले साल ही यहां फावड़ा चलाये थे और विश्वास व्यक्त किये थे कि ईमानदारी पूर्वक भव्य तरीके से इसका जीर्णोद्धार एवं उड़ाही होगा। तालाब की जानकारी पाकर वो भी बहुत दु:खी और चिंतित हो गये। उन्होंने आप तक पूरी बात पंहुचाने का विचार दिया।

मिट्टी का कार्य 15 जून तक ही होता है। मानसून आने ही वाला है। पिछले 45 दिनों से साढ़े पांच एकड़ का तालाब की उड़ाही भी नहीं हो पाया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है। ठेकेदार उचित संख्या में ट्रेक्टर, पोकलेन, हाइवा, जे.सी.बी. नहीं लगाया और मानसून और बारिश का इंतजार किया गया, कि बिल का भुगतान अतिशीघ्र करा लूंगा।

अत: मुख्यमंत्री जी आपसे सादर अनुरोध है कि, जनता की गाढ़ा कमाई लूटने वाले अधिकारी और ठेकेदार पर कठोर कारवाई करते हुए 15 जून 2020 तक तालाब की पूर्ण उड़ाही एवं जीर्णोद्धार करने का शीघ्र निर्देश देने की कृपा करें। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन बिहार सरकार की निष्क्रियता और शिथिलता से समाज चिंतित और दु:खी है।

पूर्ण विश्वास है, समाज की चिंता और परेशानी को दूर करेंगे।

नोट: कल दिनांक 11.06.2020 को पुष्करणी तालाब की उड़ाही में हुए भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के खिलाफ सभी नियमों का पालन करते हुए धरना दिया जायेगा।

नीरज कुमार

प्रतिलीपि

- माननीय मुख्यन्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
- माननीय राज्यपाल, बिहार
- माननीय मुख्यन्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना, बिहार
- माननीय लोकायुक्त, बिहार
- मुख्य सचिव, बिहार सरकार
- प्रधान सचिव लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार पटना
- जिलाधिकारी, नालन्दा